

## शिक्षण पद्धतियों की प्रभावी शिक्षण में भूमिका

ज्योति अरोड़ा, शोधार्थी, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, टोंक

डॉ. सपना वर्मा, शोध निर्देशिका, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, टोंक

Mail ID – [khatrijti@gmail.com](mailto:khatrijti@gmail.com)

परम्परागत अर्थों में शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले को निर्धारित विषयों में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये कुछ ज्ञान व कुशलतायें प्रदान की जाती है। इसी धारणा में शिक्षक व छात्र की सफलता इस तथ्य से मापी जाती है कि विषय वस्तु के बारे में शिक्षक द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने की छात्रों में कितनी योग्यता है। यह विचारधारा शिक्षण को केवल ज्ञान प्रदान करने का साधन मानती है जबकि वास्तव में देखा जाये तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर समाज, शासन प्रणाली, दार्शनिक विचारधारा, मूल्य व संस्कृति का प्रभाव पड़ता रहता है। इसी कारण शिक्षण केवल छात्र को उत्तर देने योग्य बनाने तक ही सीमित नहीं अपितु शिक्षण सीखने के तीनों स्तरों की सफलता पर आधारित है जिसमें छात्र ज्ञान स्तर, बोद्ध स्तर तथा चिन्तन स्तर पर स्वयं को सफल साबित कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शिक्षण के परम्परागत ढाँचे से आगे बढ़कर आधुनिक मांग को देखते हुये शिक्षण में नवीन विधियों व प्रविधियों के समावेश की आवश्यकता है।

शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। जिसके लिये समुचित अधिगम परिस्थितियों का सृजन किया जाता है, इन अधिगम परिस्थितियों के सृजन के लिये विधियों का उपयोग किया जाता है। शिक्षक शिक्षार्थी को जिस ढंग से ज्ञान प्रदान करता है उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि शब्द का प्रयोग एक ओर तो अनेक प्रणालियों व योजनाओं के लिये किया जाता है तथा दूसरी ओर बहुत सारी प्रक्रियायें भी सम्मिलित कर ली जाती हैं। शिक्षण विधि में पाठ्यवस्तु की प्रकृति के अनुसार प्रस्तुतीकरण किया जाता है। सामान्यतः प्रस्तुतीकरण के तीन प्रमुख ढंग होते हैं इसीलिये शिक्षण पद्धतियाँ भी तीन प्रकार की होती हैं :-

1. कथन पद्धति – जैसे व्याख्यान, प्रश्न आदि
2. दृश्य पद्धति – जैसे प्रदर्शन, निरीक्षण आदि
3. कार्य पद्धति – जैसे प्रोजेक्ट, प्रयोग आदि

शिक्षण विधियों में छात्र व शिक्षक की भूमिकायें व क्रियाशीलता बदलती रहती है इसी आधार पर विधियों को विभाजित किया जा सकता है :-

1. शिक्षक केन्द्रित विधियाँ
2. छात्र केन्द्रित विधियाँ
3. समूह केन्द्रित विधियाँ
4. शिक्षक व छात्र केन्द्रित विधियाँ

कुछ विधियों में शिक्षक अधिक क्रियाशील रहकर शिक्षण में केन्द्रीय भूमिका निभाता है अतः ऐसी विधियाँ प्रभुत्ववादी विधियाँ कही जाती हैं तथा कुछ विधियों में छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, ऐसी विधियाँ प्रजातान्त्रिक विधियाँ कही जाती हैं। परन्तु शिक्षण हेतु किस विधि का चयन किया जाये, यह पाठ्यवस्तु की प्रकृति पर अधिक निर्भर करता है। कुछ प्रमुख विधियाँ हैं जिनके प्रयोग आज के परिवेश में शिक्षण में आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया ही जाना चाहिये जैसे –

1. निगमनात्मक व आगमनात्मक विधि –

जब छात्र को कोई सामान्य सिद्धान्त बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिये अनेक उदाहरण दिये जाते हैं तो वह निगमनात्मक विधि कहलाती है। दूसरी ओर जब अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है तो उसे आगमनात्मक विधि कहते हैं। ये विधियाँ व्याकरण शिक्षण के अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी हैं।

2. संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक –

पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करने का ढंग ऐसा हो कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का करवाया जाये तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। जैसे पहले अक्षर ज्ञान करवाकर फिर शब्दों का ज्ञान करवाया जाये। परन्तु वहीं जब पहले पूर्णता दिखायी गयी तत्पश्चात अंगों को ज्ञान करवाया जाये तो इसे विश्लेषणात्मक विधि कहा जाता है।

3. वस्तु विधि –

शिक्षण का एक सूत्र है – ‘ मूर्त से अमूर्त की ओर ’ अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो सर्वप्रथम किसी वस्तु पर दृष्टि डालने पर हम उससे सामान्य रूप से परीचित हो जाते हैं। अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है इसीलिये पाठ के आरम्भ में वस्तु विधि का सहारा लेना सर्वाधिक सुगम है जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिये वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है।

4. दृष्टान्त विधि –

वस्तु विधि का दूसरा रूप है – दृष्टान्त विधि। वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है दृष्टान्त विधि में इसी प्रकार दृष्टान्तों का। दृष्टान्त दृश्य भी हो सकते हैं, श्रव्य भी। इसमें चित्र, मानचित्र, चित्रपट आदि के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। साथ ही उपमा, उदाहरण, कहानी, चुटकुले आदि के द्वारा भी विषय का स्पष्टीकरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त उल्लेखित विधियों का शिक्षक पाठ योजना में प्रयुक्त कर अपने शिक्षण को प्रभावी व सुगम्य बना सकता है। परन्तु पाठ्यवस्तु में निर्माण के साथ प्रदर्शन का अपना प्रमुख स्थान है। जितनी सतर्कता व सजकता से पाठ्यवस्तु को क्रमबद्ध व व्यवस्थित किया जाना आवश्यक है उतना ही उसे किस प्रकार छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाये, यह कआवश्यक है। अतः कुछ प्रमुख विधियां शिक्षक विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष किस माध्यम से कर जाये ताकि अधिगम की स्थिति प्राप्त हो। इनमें कुछ विधियां इस प्रकार हैं :-

1. **व्याख्यान विधि** – यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। यह आदर्शवादी विचारधारा की देन है। इसे शिक्षण की प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि भी मानते हैं क्योंकि इसमें शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। छात्रों के ध्यान को केन्द्रित करने के लिये कभी-कभी शिक्षक प्रश्न प्रविधि की भी सहायता लेता है। इसमें शिक्षक को वक्ता की भूमिका में व छात्र केवल श्रोता की भूमिका का निर्वाह करते हैं।
2. **पाठ-प्रदर्शन विधि** – यह विधि प्रशिक्षण की परम्परागत विधि है। इसका प्रयोग तकनीकी संस्थाओं व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। इसे अनुदेष्टात्मक पाठ्यक्रम में अधिक प्रयुक्त करते हैं। यह भी प्रभुत्ववादी विधि मानी जाती है क्योंकि अनुदेष्टक जिस प्रकार पाठ का प्रदर्शन करता है, छात्र अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। इसका अध्यापन, शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभागों में अधिक प्रयोग किया जाता है।
3. **अनुवर्ग शिक्षण विधि** – इसे प्रभुत्ववादी व प्रजातंत्रवादी दोनों प्रकार की विधि मानते हैं। व्याख्यान विधि में छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाईयों को शिक्षक से हल कराने का अवसर नहीं मिलता है। इसीलिये कक्षा को छोटे-छोटे सजातीय कर्मों में बांट दिया जाता है। एक अनुवर्ग को एक शिक्षक को सौंप दिया जाता है। वह शिक्षक अपने अनुवर्ग की सभी अध्ययन सम्बन्धी कठिनाईयों के समाधान में सहायता करता है। इस प्रकार के शिक्षण को अनुवर्ग शिक्षण कहा जाता है।

उपर्युक्त विधियां सामान्यतः शिक्षक केन्द्रित विधियां मानी जाती हैं परन्तु 19 वीं शताब्दी में मनोविज्ञान ने शिक्षा व शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित किया और छात्र के विकास को प्राथमिकता देने की बात की जाने लगी। प्रकृतिवादी दर्शन ने भी छात्र की प्रकृति के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था को महत्व दिया। अतः शिक्षण शिक्षक केन्द्रित होने के स्थान पर छात्र केन्द्रित करने पर बल दिया गया और इस हेतु कुछ विशेष विधियों का विकास हुआ।

- **कैलर योजना** – यह विधि स्वामित्व अधिगम के समान है। इसका विकास स्किकनर के अधिनियमों पर आधारित है। इसमें अनुबद्ध अनुक्रिया अधिगत सिद्धान्त को महत्व दिया गया है। इसके अन्तर्गत छात्र नियन्त्रित, स्वतः अधिगम सम्बन्धी सहायक अधिनियमों को प्रयुक्त किया जाता है। किसी पाठ्यक्रम के आरम्भ में छात्र-शिक्षक के मध्य समझौता किया जाता है कि कितना कार्य करने के बाद छात्र अपनी गति से सीखना प्रारम्भ कर सकेंगे तथा वे स्वोपक्रम भी कर सकेंगे। शिक्षक अनुवर्ग शिक्षण के लिये उपलब्ध रहेगा और लघु समूह वाद-विवाद का आयोजन करेगा। इस प्रकार छात्रों को शिक्षक द्वारा निर्देशन तथा पृष्ठपोषण भी दिया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिये किया जाता है।
- **पर्यटन विधि** – शिक्षक प्रक्रिया का उद्देश्य अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिसमें छात्र सीखने के अनुभव प्राप्त कर सकें। कक्षा-शिक्षण में छात्र अधिकांश रूप में श्रव्य इन्द्रियों से सीखने का अनुभव प्राप्त करते हैं। इसमें छात्र की स्मरण शक्ति व कल्पना शक्ति को अधिक कार्य करना पड़ता है परन्तु छात्र को यदि प्रत्यक्ष अनुभव कर ज्ञान प्रदान करवाया जाये तो वह अधिक प्रभावशाली माना जायेगा। अतः पर्यटन विधि छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम प्रदान करती है। यह विधि छात्रों को नीरस कक्षा कक्षाओं से सरस वातावरण में सजीवता से सीखने का अवसर प्रदान करती है।
- **प्रायोजना विधि** – अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूवी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल है प्रायोजना विधि। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिये स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिये पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और इस समस्या का हल करने के लिये उन्हीं के द्वारा योजना बनायी जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है।
- **डॉल्टन विधि** – अमेरिका के डॉल्टन नाम स्थान में सन् 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलेन पार्क्सट ने शिक्षा की एक नयी विधि प्रयुक्त की, जिसे डॉल्टन योजना कहते हैं। यह विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिये आविष्कृत की गयी थी। डॉल्टन योजना में कक्षा-भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिये पुस्तकें, चित्र, मानचित्र तथा अन्य सामग्री के अतिरिक्त सन्दर्भग्रन्थ भी रहते हैं। विषय का विशेषज्ञ अध्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता है। उनके कार्यों की जांच तथा संशोधन करता है। वर्ष भर का कार्य 9 या 10 भागों में बांटकर निर्धारित कार्य के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित दिया जाता है। छात्र इस कार्य को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशालाओं में जाकर पूरा करता है। इस योजना में छात्रों को अपनी रुचि व सुविधा के अनुसार कार्य करने की छूट रहती है। मूल स्रोतों से अध्ययन करने के कारण उनमें स्वावलम्बन भी आ जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शिक्षण विधियां अनेक हैं। सबका प्रवर्तन किसी न किसी विशेष परिस्थिति में करना ही श्रेयस्कर होता है। सामान्यतः विद्यालयी शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के रूप में अलंकृत किया जाता है। कहा



जाता है कि नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही सुदृढ़ होगी, परन्तु वर्तमान समय का सामान्य अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि विद्यालय के प्रांगण से निकले कई प्रतिभावान बालक बड़े विष्वविद्यालयों में खो गये। एक महाविद्यालय का सामान्य सा दृश्य सभी जगह दिखाई देता है कि छात्र कक्षा में कम तथा दालानों में अधिक दिखाई देते हैं। त्रुटि कहाँ हो रही है कि ग्लोबल विष्वविद्यालय रैंकिंग-2024 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत का एक भी विष्वविद्यालय टॉप विष्वविद्यालयों में सम्मिलित नहीं हो सका। स्वयं को विष्व गुरु बताने वाला देश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में पिछड़ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो आती रहती है परन्तु वह कागजों के पुलिंदा मात्र बन कर रह जाती है। कितनी भी शिक्षा नीतियाँ आ जायें, विधियाँ-प्रविधियाँ आ जाये – जब तक ठोस धरातल पर कार्य नहीं किया जायेगा, कक्षाओं का वातावरण छात्रों की आवश्यकतानुसार व रुचिनुसार नहीं बनाया जायेगा, मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी नहीं बनाया जायेगा, तब तक छात्र कक्षा में कम व बाहर अधिक दिखेंगे और यह परिदृश्य हमें कभी सही मायनों में विष्व गुरु नहीं बनायेगा। आज आवश्यकता है जमीनी स्तर पर नैतिकता व उत्तरदायित्व के भाव के साथ कार्य करने की। चाहे वह योजना निर्माण से क्रियान्वयन का कार्य हो या क्रियान्वयन से मूल्यांकन का कार्य हो। सभी को अपना कार्य अपने उत्तरदायित्व से जुड़कर करना होगा। इस परिस्थिति में महादेवी वर्मा जी की पंक्तियाँ याद आती हैं –

नाश भी हूँ, अनंत विकास का क्रम भी  
त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी  
तार भी, आघात भी, झंकार की गति भी  
पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर स्मृति भी  
अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ।

यही आज का सत्य है हम सभी भरपूर सम्भावनाओं से भरे हुये हैं। हम में ही सृजन व विनाश की शक्ति निहित है और यह हम पर ही निर्भर करता है कि इस शिक्षा रूपी ऊर्जा का हम विनाश करेंगे या विकास।

**संदर्भ –**

1. शर्मा, आर.ए. – शिक्षा के तकनीकी आधार 2015 पृ. 382-418
- 2- Elizabeth Leu & Alison Price, Quality of education and teacher learning; A review of the literature. (Available on [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com))
- 3- Kothari, D.S. (1966) Chairman Report of the Education Commission (1964-66) Govt. of India, New Delhi. *Never Ended...*
- 4- Maheshwari A.N. ; Assessment and Accreditation in Determination an Maintenance of norms and standards for Teacher education (A Guide line)
- 5- Imam Ashraf ; Quality and Excellence in teacher education : Issues & Challenges in India.
- 6- Zenith Vol. 1 : International Journal of Shikshak Shiksha multidisciplinary Research.
- 7- Department of School Education and Literacy (Mhrd.gov.in)